राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1485/ SEIAA/2022
Date: 26/8/22

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र) – 462016(म.प्र.)

विषयः प्रकरण क्रमांक **6819/2020**: Prior Environment Clearance for expansion in manufacturing of synthetic Resins at Khasra No. 58/1/k, Village: Raokhedi, Post: Mangaliya, A.B. Road, Tehsil: Sanwer, District: Indore, MP Existing capacity 2700 MT/Annum. After expansion, capacity will be increased up to 11000 MT/Annum. Total land area 11460 sq.m, by Partner, Atul Polychem Khasra No. 58/1/k, Village: Raokhedi, Post: Mangaliya, A.B. Road, Tehsil: Sanwer, District: Indore, MP-453771 – **Regarding Amendment in EC**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 742वीं बैठक दिनांक 18.08.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....
उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया था, जिसमें SEIAA द्वारा अधिरोपित शर्त "Zero Liquid Discharge (ZLD) के स्थान पर Industrial Effluent का निष्पादन CETP के द्वारा करने हेतु निवेदन किया गया था, जिसे परीक्षण हेतु SEAC की ओर प्रेषित किया गया।

प्रकरण को SEAC की 582वीं बैठक दिनांक 29.06.2022 एवं 587वीं दिनांक 02.08.2022 को विचार हेतु रखा गया तथा निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

'उद्योग द्वारा दूषित जल का प्राथमिक उपचार कर इसे लगभग 18 किलोमीटर दूर सांवेर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित कॉमन इफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट में अंतिम रूप से उपचार एवं निष्पादन हेतु भेजे जाने का प्रस्ताव दिया गया है। यह मान्य योग्य नहीं है। उक्त सीईटीपी सांवेर रोड़ औद्योगिक हेतु स्थापित किया गया है, अतः उद्योग स्वयं के परिसर में विस्तृत दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना करेगा व उपचारित दूषित जल का पुनर्उपयोग उद्योग/परिसर में वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा व उद्योग परिसर से बाहर शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जावेगी। उद्योग द्वारा घरेलू कार्यो से उत्पन्न दूषित जल को सोकपिट में छोडे जाने का प्रस्ताव मान्य योग्य नहीं है। उद्योग द्वारा उपरोक्तानुसार परिसर में सीवेज सह इफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जावे व सभी प्रकार के दूषित जल का उपचार कर उसका पुनर्उपयोग सुनिश्चित् किया जावे'' ।
Considering above recommendations of public hearing a condition was imposed to install ETP and also to ensure "Zero Effluent Discharge". After deliberations, committee does not agree to the submissions made by PP as no logical answers/reasons are provided by PP to amend the conditions and decided to stands by its earlier recommendations made in 458th SEAC meeting dated 22/09/20.

SEAC की उपरोक्त अनुशंसा पर प्रकरण को SEIAA की बैठक दिनांक 18.08.2022 में रखा गया। अध्यक्ष महोदय के समक्ष परियोजना प्रस्तावक उपस्थित होकर 03 निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराये गये, जिन पर भी विचार किया गया :–

- *इस संदर्भ में Industries Association के द्वारा Ministry of Chemical & Fertilizers Department of Chemicals & Petro Chemicals Industry Facilitation Cell में पत्राचार किया गया था, जिसके जवाब में पत्र क्र. 28–58/1/2022–IFC-CPC दिनांक 29.07.2022 के माध्यम से निम्न निर्देश प्राप्त हुये है –*
  "ZLD is not a compulsory condition. Project Proponent (PP) can approach EAC/MoEF&CC for seeking an amendment in EC (Environmental Clearance), if it is not feasible for that PP."
- *उपरोक्त पत्र के प्रकाश में यह भी विचार किया गया कि इकाई एक सूक्ष्म उद्योग श्रेणी की है, जिसके विस्तार की लागत रू. 1.11 करोड़ की प्रस्तावित है। इकाई में ETP लगाना एक मंहगा विकल्प होगा, जिससे ZLD की शर्त व्यवहारिक नहीं लगती है।*
- *अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला इंदौर के पत्र क्र. 1023 दिनांक 14.07.2022 द्वारा नगर निगम, इंदौर को निर्देशित किया गया कि मेसर्स अतुल पोलिकेम राउखेड़ी के फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित जल को प्राथमिक उपचार उपरांत नियमानुसार शुल्क के साथ उपचारित पानी को सीईटीपी में लेना सुनिश्चित करें।*

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श उपरांत उपरोक्त उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों तथा तथ्यों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण को SEAC को पुनः भेजा जाना चाहिए, साथ ही परियोजना प्रस्तावक उक्त दस्तावेज अनिवार्यतः ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से SEAC को उपलब्ध करायें जिससे SEAC अपने निर्णय पर पुर्नविचार कर सकें। उपरोक्त निर्णय के परिपालन मे प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर पुनः अग्रेषित किया जाता है।

उपरोक्त निर्णयानुसार प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर पुनः अग्रेषित किया जाता है।

संलग्न–मूल नस्ती

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 1486 /SEIAA/2022 भोपाल दिनांक 26/8/22

प्रतिलिपि :–

Shri Atul Polychem Khasra No. 58/1/k, Village: Raokhedi, Post: Mangaliya, A.B. Road, Tehsil: Sanwer, District: Indore, MP-

सदस्य सचिव